संख्या-72/2022/3531/58-1-2022-2/3(27)05टीसी-4

प्रेषक,

अनामिका सिंह,

सचिव,

उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 20 अक्टूबर, 2022**

विषयः आंगनवाड़ी केन्द्रों को गोद लेकर "आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र" बनाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण द्वारा ऑगनवाड़ी केन्द्रों को गोद लेकर "आदर्श आँगनबाड़ी केन्द्र" के रूप में विकसित किये जाने हेतु इस विभाग के पत्र संख्या-3937/58-1-2021, दिनांक 06.01.2022 तथा पत्र संख्या-1117/58-1-2022-54-2099/52/2021, दिनांक 10.05.2022 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे।

2- मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 16.09.2022 को पोषण माह का राज्य स्तरीय आयोजन लोक भवन के आडीटोरियम में किया गया था, जिसमें मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मा० जनप्रतिनिधियों, अधिकारीगणों, शैक्षिक संस्थानों, औद्योगिक संस्थानों आदि के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में आँगनबाड़ी केन्द्रों को गोद लेकर केन्द्र का सर्वांगीण विकास कराते हुए "आदर्श ऑगनवाडी केन्द्र" के रूप में विकसित किये जाने की अपेक्षा की गयी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न जनपदों में महामहिम राज्यपाल महोदया की प्रेरणा से उच्च शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से ऑगनवाड़ी केन्द्रों को 24 प्रकार की शालापूर्व शिक्षा से सम्बन्धित सामग्रियों की किट उपलब्ध कराये जाने का संदर्भ देते हुए अन्य जनपदों को भी इस दिशा में सकारात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

3- उक्त के दृष्टिगत शासन के पत्र दिनांक 06.01.2022 तथा 10.05.2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में कुपोषण की अधिकता वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों को चिन्हित कर जनपदों में मा० जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण के अतिरिक्त उच्च शैक्षिक संस्थानों, औद्योगिक संस्थानों, अन्य संस्थान (जिलाधिकारी की अनुमति से), मण्डल स्तरीय अधिकारी व अन्य अधिकारियों द्वारा आँगनवाड़ी केन्द्रों को गोद लेकर "आदर्श आँगनवाड़ी केन्द्र" के रूप में विकसित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

इन आंगनवाड़ी केन्द्रों को गोद लेकर निम्न मानकों पर "आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र" के रुप में विकसित किया जायेगा:-

1. योजना का उद्देश्य

- आंगनवाड़ी केन्द्रों को कुपोषण मुक्त करना।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत 03-06 वर्ष के बच्चों हेतु अनौपचारिक शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) के स्तर में सुधार।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।

2. आंगनवाड़ी केन्द्र को गोद लेने की प्रक्रिया

- जनपद में गोद लिये जाने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों की सूची जिला कार्यक्रम अधिकारी अथवा बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सम्बन्धित गोद लेने वाली संस्थान / संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उनसे विचार-विमर्श कर उनकी स्वेच्छा से गोद लिये जाने वाले आगनवाड़ी केन्द्र चिन्हित किये जायेंगे।
- तत्पश्चात् अधिकारियों द्वारा गोद लिये जाने वाले शेष आंगनवाड़ी केन्द्र आंवटित किये जायेंगे।
- प्रत्येक शैक्षिक संस्थान/संस्था द्वारा कम से कम 03 आंगनबाड़ी केन्द्रों को गोद लिया जाना है।

3. जनपद स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही

- "आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र" बनाने से सम्बन्धित उक्त गतिविधियों और अनुश्रवण के मानकों के आधार पर शैक्षिक संस्थान / संस्था को विभागीय योजनाओं सम्बन्धी सुलभ सामग्री उपलब्ध कराते हुए अभिमुखीकरण किया जायेगा।
- गोद लिये गये आंगनवाड़ी केन्द्र के भ्रमण के समय सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका, आंगनवाड़ी कार्यकत्री, आशा., ए.एन.एम., अध्यापक, पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान आदि उपस्थित रहेंगे।
- आंगनवाड़ी केन्द्र को "आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र" के रूप में विकसित करने हेतु वी.एच.एस.एन.सी. के अन-टाईड फण्ड, कायाकल्प तथा जी.पी.डी.पी. का प्रयोग करते हुए आधारभूत संरचना/संसाधन उपलब्ध कराये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य स्रोत यथा- सी.एस.आर/मिनरल फण्ड व अन्य से भी आंगनवाड़ी केन्द्र को विकसित किया जा सकता है।
- बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग एवं अन्य विभागों की संचालित योजनाओं के कन्वर्जेन्स से समेकित प्रयास करते हुए आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र विकसित किये जायेंगे। इसके लिये कोई अतिरिक्त बजट का प्राविधान नहीं है।

4. अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षणीय दायित्व

- शैक्षिक संस्थान/संस्था द्वारा ऑगनवाड़ी केन्द्रों पर प्रदान की जा रही सामग्री/कार्यों का विवरण जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- शैक्षिक संस्थान/संस्था के नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को गोद लिये जाने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों का पर्यवेक्षणीय दायित्व होगा।
- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पोषण समिति की अध्यक्षता में प्रत्येक माह आहूत जिला पोषण समिति की बैठक में जनपद के समस्त गोद लिये गये आंगनवाडी केन्द्रों की समीक्षा की जायेगी।
- जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह गोद लिये गये आंगनवाड़ी केन्द्रों की पर्यवेक्षण आख्या संकलित कर समीक्षा हेतु जिला पोषण समिति की बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।
- प्राप्त पर्यवेक्षण आख्या के आधार पर अध्यक्ष, जिला पोषण समिति/जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभागों के समन्वित प्रयास से "आदर्श आगनवाड़ी केन्द्र" विकसित कराया जायेगा।

गोद लिये गये आंगनवाड़ी केन्द्रों की प्रगति रिपोर्ट जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रतिमाह शासन एवं निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को प्रेषित की जायेगी।

5. आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र बनाने की समयावधि

गोद लिये गये आंगनवाड़ी केन्द्रों को "आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र" के रूप में विकसित करने के लिये निर्धारित समयावधि छः माह की होगी।

6. "आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र" की घोषणा

गोद लिये गये आगनवाड़ी केन्द्रों को निर्धारित अवधि में उक्त मानकों की पूर्ति होने पर जिला पोषण समिति द्वारा "आदर्श आंगनवाडी केन्द्र" घोषित किया जायेगा एवं तद्विषयक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उच्च शैक्षिक संस्थानों/औद्योगिक संस्थानों तथा अन्य संस्थानों (जिलाधिकारी की अनुमति से) से भी ऑगनबाड़ी केन्द्रों को गोद लेकर "आदर्श ऑगनवाड़ी केन्द्र" के रूप में विकसित किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
सचिव ।

संख्या:- 72/2022/3531(1)/58-1-2022, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
4. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. राज्य प्रतिनिधि, समस्त विकासशील संस्थाएं।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।